न्यायालय श्रीमान् बोर्ड आफ रैवेन्यू ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 366-I-15

[8 JAN 2015

कृष्णकांत तनय श्यामकुमार मिश्रा,
निवासी ग्राम लौड़ी तहo लौड़ी जिला छतरपुर म.प्र.

... आवेदक

।। बनाम।।

म.प्र. शासन
द्वारा बुन्देलखंड ग्रामीण बैंक ,
प्रबंधक लौड़ी जिला छतरपुर ... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

1- यहकिआवेदक उक्त निगरानी आदेश श्रीमान् अपर कमिश्नर, सागर संभाग सागर के पृoक्रo 528अ/76 वर्ष 07-08 आदेश दिनांक - 16.01.2012 से पीड़ित होकर कर रहा है ।

2- यहकि, प्रकरण का तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक ने नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से एक लाख रूपये का ऋण प्राप्तकिया था कुछ समय तक आवेदक ऋण का पैसा जमा करता रहा, लेकिन बाद में उसका स्वास्थ्य खराब हो जाने गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने एवं फसल खराब हो जाने के कारण वह पैसा जमा नही कर सका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा उसे कोई नोटिस भी प्राप्त नही हुआ, तहसीलदार के आदेश के विरूद्धएक निगरानी कलेक्टर महोदय के यहां प्रस्तुत की ,उक्त निगरानी को विद्वान कलेक्टर महोदय, द्वारा निगरानी के समय के बाहर मानकर बिना गुणदोष की सुनवाई के बगैर सरसरी तौर से निरस्त कर दी,

..2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 366-I/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.1.16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा नस्ती के अभिलेखों का अवलोकन किया। तर्क में वही बिन्दु उठाए गए जो निगरानी मेमो में लिखे हैं। अपर आयुक्त सागर के प्रश्नाधीन आदेश दि. 16.1.12 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है जिसके खण्डन में उसने कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत किया। जहाँ तक आवेदक का यह तर्क है कि न्यायहित में विलम्ब माफ किया जाना चाहिए था, तो इस संबंध में यह स्पष्ट है कि आवेदक बैंक कर्ज का बकायादार है जो उसने स्वयं स्वीकार किया है। इस ऋण की अदायगी आवेदक द्वारा बैंक को की ही जानी चाहिए थी, जो गत 8 वर्ष से अधिक में (अपर कलेक्टर का आदेश 2007 का है) न्यायालयीन वाद दायर कर उनकी आड़ लेते हुए, यदि अभी तक आवेदक द्वारा नहीं किया गया है, तो यह उसकी ऋण अदायगी के प्रति दूषित मानसिकता को दर्शाता है, जिसे मान्य किया जाना	

[कृ. प. उ.

R. 366/I/15 छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कुलवन्त कार्यवाही तथा आदेश RNH7	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उचित नहीं है। अतः, यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य कर खारिज की जाती है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 5-1-16 (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.